न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 152 दायर दिनांक–09.11.2022

1. सुमन देवी पत्नी मूलचंद जाति जाट निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– आवेदिका

– :: बनाम ::–

1. सरोज देवी मूण्ड पत्नी रामवतार सिंह मूण्ड जाति जाट निवासी मझाउ तहसील उदयपुरवाटी हाल आबाद खुद की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2. ओमप्रकाश पुत्र जगदीश जाति रावणा राजपूत
3. ताराचंद पुत्र अमराराम
4. प्रभाताराम पुत्र अमराराम
5. रतनसिंह पुत्र अमराराम
6. सुल्तानसिंह पुत्र अमराराम समस्त जाति जाट निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
7. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कारी जरिये शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
8. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कोलसिया जरिये शाखा प्रबंधक शाखा कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री दीपेन्द्र सिंह जाखड़
वकील अनावेदकगण :– श्री अशोक कुमार जांगिड़

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक 17.07.2025

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम कारी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1333 रकबा 3.6800 है0 स्थित है जो आवेदिका व अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 की शामलाती खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। उक्त भूमि में आवेदिका व अनावेदकगण सं0 1 लगायत 6 सह खातेदार काश्तकार है अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त भूमि का आज तक विधिवत विभाजन नही हुआ है। केवल मौखिक बंटवार कर रखा है।

अनावेदिका सं0 1 अपने आवेदिका द्वारा अपने खर्चे से विकसित किये गये दक्षिणी पश्चिमी कोने पर उतर दक्षिण लम्बी 1/4 हिस्से की निश्चित भू भाग को विक्रय करने की फिराक में है। यदि अनावेदिका सं0 1 अपने नाजायज मंशा में सफल हो जावेगी तो आवेदिका को अपार क्षति होगी।

आवेदिका विवादित भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा भूमि पर भोतिक रूप से काबिज है। इसलिए आवेदिका को बेदखल कर भूमि को विक्रय करने का अनावेदिका सं0 1 को कोई अधिकार नही है।

अतः प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन है कि अनावेदिका सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे प्रा0 पत्र में दर्ज विवादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम कारी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1333 रकबा 3.68 है0 भूमि को किसी विशेष भू भाग को बिना विधिवत विभाजन कोई कच्चा पक्का निर्माण नही करें, भूमि को विक्रय नही करें और भूमि में से हरे पेड़ आदि काटकर भूमि को नाकाबिल काश्त नही करें और भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज नही करें। आवेदिका की शामलाती भूमि पर कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करें। मौके व राजस्व रिकॉर्ड में यथास्थिति बनाये रखें।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने के बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 2 की ओर से वकील श्री अशोक कुमार जांगिड़ उपस्थित न्यायालय आये तथा आवेदक ने आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस प्रकार पेश किया कि अनावेदक सं0 2 ओमप्रकाश एक गरीब व्यक्ति है। कृषि आय के अलावा आय का कोई अन्य जरिया नही है। अनावेदक सं0 1 व उसका पति चलाक व्यक्ति है इन्होने लाठी के बल पर बरसों पुराने रास्ते को रोक दिया। इनका एक खेत खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:26 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. डी. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

1331 अनावेदक सं0 2 के खेत सेही लगता है। अन्य आस पास के खसा नम्बरों के खातेदारों खसरा नम्बर 1236 गोचर भूमि से लेकर गांव मझाउ की सीमा तक आपसी सहमति से 15 फीट चौड़ा रास्ता सभी खसरो सहित अनावेदक सं0 2 के इस विवादित भूमि में भी आने जाने के आपसी सहमति से खोला था जिसे भी इन चतुर चालाक ने बंद कर दिया है। आवेदक व अनावेदक विवादित खसरा में जहां अपने हिस्से पर आबाद है उसका खाता विभाजन होने से अनावेदक सं0 2 को कोई आपत्ति नही है अनावेदक सं0 2 ने अपने हिस्से में एक कुआ मय विधुत कनेक्शन भी बना रखा है तथा आवास हेतु पुख्ता मकान बना रखें है।

अनावेदक सं0 1 ने जितनी जमीन आवेदक नं0 2 के स्व0 भाई से खरीदी है उसके पुरे पैसे अदा नही किये है। धोखाधड़ी से रजिस्टी करवा ली। खसरा नम्बर 1333 में जाने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता भी देंगे जो भी अभी तक नही दिया और रास्ता बंद कर दिया है।

अतः जबाब प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो जबाबदेहन्दा को कोई एतराज नही है।

जबाबदेही पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों अप्रार्थी ने जबाब के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है।** ग्राम कारी की सरहद में जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के **राजस्व ग्राम कारी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1333 रकबा 3.68 है0** अवस्थित है, जिसमें आवेदिका अनावेकदकगण की कब्जे काश्त की शामलाती भूमि है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त आराजियात में आवेदिका व अनावेदकगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। अतः ताफैसला दावा या विधिवत विभाजन होने तक अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तथा प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदिका के पक्ष में तय किये जाते है।
- **अपूरणीय क्षति :–** उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदिका के पक्ष में होने से तथा आवेदिका विवादग्रस्त भूमि में आवेदिका के कब्जे काश्त में होने से अपूरणीय क्षति आवेदिका के पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम कारी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1333 रकबा 3.68 है0 भूमि के राजस्व व मौके की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 09.11.2022 को पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:26 IST
Reason: SelfAttested